राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

अत्यावश्यक

क्रमांकः प.17(14)सह/2010/पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 18/8/2020

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ
राजस्थान, जयपुर।

P&D
Di: mo (?)
18/8

विषयः–प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के स्तर पर अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु प्रस्तावित एकमुश्त समझौता योजना की स्वीकृति बाबत्।

संदर्भः–आपका पत्रांक फा.50(3)सविरा/मोने/एस.ए/एकमुश्त समझौता योजना 2018–19/2018 दिनांक 07.08.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के स्तर पर अवधिपार ऋणों की वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना, 2020–21 की अवधि सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत दिनांक 30.11.2020 तक बढाई जाती हैं।

अतः बैंकों द्वारा, उक्त बढाई गई अवधि में, योजना का भली–भाँति प्रचार–प्रसार कर योजनान्तर्गत अधिकाधिक वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय,

संलग्नः–अनुमोदित योजना की प्रति।

–Sd/–

(नारायण सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
3. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, नेहरु सहकार भवन, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0,
जयपुर

सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणों के चुकारे हेतु
एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2020–21

1. **पात्रता :**

   प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि/अकृषि ऋण, जों दिनांक 01.07.2019 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है, योजनान्तर्गत पात्र होंगे।

2. **कियान्वयन अवधि :**

   योजना की अवधि राज्य सरकार से योजना की स्वीकृति उपरान्त प्राथमिक बैंक स्तर पर प्रशासकीय/संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर योजना को अंगीकार करने की तिथि से दिनांक 30.11.2020 तक होगी।

3. **राहत राशि का निर्धारण :**

   A. पात्र खातों में दिनांक 01 जुलाई, 2019 को जो राशि अवधिपार है, उसमें से योजना अंगीकार करने की तिथि को बकाया, पर राहत की गणना की जावेगी।

   B. पात्र खातों में बिंदु सं. 3.A के अनुसार जो राशि अवधिपार रही है, उसमें से अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय व अन्य व्यय पर 50 प्रतिशत की राहत प्रदान की जावेगी।

   C. दण्डनीय ब्याज, वसूली व्यय व अन्य व्यय के शेष 50 प्रतिशत की राहत प्रदान करने हेतु प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक का संचालक मण्डल अधिकृत होगा।

   D. योजनान्तर्गत पात्र खातों में दिनांक 01 जुलाई, 2019 के पश्चात ऋणी की ओर जो भी चालू किश्तें ड्यू हुई है, उस पर कोई राहत प्रदान नहीं की जावेगी तथा इन किश्तों का चुकारा किया जाना अनिवार्य होगा।

   E. 15 वर्ष एवं उससे अधिक अवधि के अवधिपार खातों में बकाया मूलधन के बराबर ब्याज वसूल किया जावेगा अर्थात समझौता दिनांक को खाते में बकाया ब्याज की राशि, बकाया मूलधन से अधिक होने पर मूलधन के बराबर ही ब्याज वसूल किया जावेगा। शेष ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली की राहत प्रदान की जावेंगी। अवधिपार मूल से कम ब्याज बकाया होने की स्थिति में ऋणी को बिन्दु 3.B व 3.C के अनुसार राहत देय होगी।

4. **समझौता राशि का निर्धारण :**

   A. समझौता राशि के अन्तर्गत पात्र अवधिपार खातों में बिंदु सं. 3.A के अनुसार जो राशि अवधिपार रही है, में से बकाया सम्पूर्ण अवधिपार मूल, सम्पूर्ण बीमा प्रीमियम, निर्धारित राहत (बिन्दु संख्या 3 के अनुसार) के पश्चात् प्राप्य अवधिपार ब्याज राशि एवं बिंदु सं. 3.D के अनुसार ड्यू चालू किश्तें मय ब्याज/द. ब्याज सम्मिलित होगी।

   B. ऋणी सदस्यों को राहत प्राप्त करने हेतु उक्त समझौता राशि जमा करवाई जानी अनिवार्य होगी।

5. **<u>योजनावधि में विधिक/अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ रखना :</u>**

   A. अवधिपार ऋणी द्वारा सर्वप्रथम समझौता राशि की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि समझौता दिनांक को एवं शेष राशि 3 माह की अवधि में जमा करवाये जाने सम्बन्धी सहमति पत्र जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।

   B. जिन ऋणियों द्वारा बिंदु सं. 5.A के अनुसार न्यूनतम 25 प्रतिशत समझौता राशि जमा करवाकर समझौता निष्पादित नही किया जावेगा, उनके विरूद्व प्राथमिक बैंक द्वारा अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही जारी रखी जावेगी।

(नारायण सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner